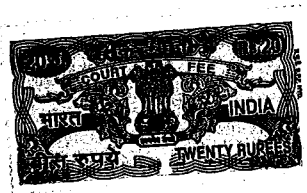

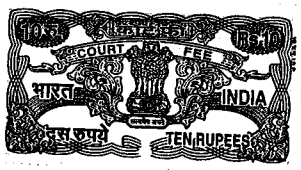

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. /2015

बंसत राम तिवारी पुत्र स्व. श्री संतराम तिवारी निवासी वार्ड क्र. 6 ज्योती पेट्रोल पंप के पास अनूपपुर रोड तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---आवेदक

विरूद्ध

1. राजेश कुमार पुत्र रामरूद्ध स्वामी निवासी कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्र. 9/अ-3/98-99 में पारित आदेश दिनांक 28-4-1999 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, मूल सर्वे क्र. 612 रकबा 3.41 एकड़ ग्राम कोतमा में स्थित था। जिसका सन 1966 में बटांकन होने पर सर्वे क्र. 612/2 रकबा 0.94 एकड़ रोड में गया एवं 612/2 रकबा 0.31 एकड़ एवं सर्वे क्र. 612/1 रकबा 2.16 एकड़ निर्मित हुये।

2. यहकि, आवेदक ने सर्वे क्र. 612/1 में से रकबा 1.08 एकड़ दिनांक 15/12/98 को तथा इसी दिनांक को 1.08 एकड़ आवेदक की मॉ ने भूमि स्वामी जबाहर आदि से क्रय किया जिसका सर्वे क्र. 612/1क निर्मित रकबा 1.08 एकड़ आवेदक के नाम तथा सर्वे क्र. 612/1ख

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3413–तीन/2015 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 9/अ–3/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 28–4–1999 के विरूद्ध इस न्यायालय में 19–10–15 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक राजेशकुमार द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम के आवेदन पर आदेश दिनांक 28–4–99 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 15 वर्ष से अधिक विलम्ब से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त तहसीलदार का अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। आवेदक अपील करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

19 November 2015